मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची

"अल्पकालीन इच्छा की अभिव्यक्ति"

(निविदा)

झारखण्ड राज्य के जलाशयों में व्यापक पैमाने पर केज कल्चर किया जा रहा है साथ ही विभिन्न मत्स्य प्रजातियों के कल्चर हेतु अलग–अलग प्रकार के केज की भी आवश्यकता है। इस हेतु जी0 आई0 पाईप के फ्लोटिंग केज एवं मोड्यूलर केज का न्यूनतम् दर निर्धारण एवं निर्माताओं (फर्म/फैब्रिकेटर्स/संवेदकों) के सूचीकरण की आवश्यकता है।

जी0 आई0 पाईप का फ्लोटिंग केज एवं मोड्यूलर केज का निर्माण तथा अधिष्ठापन हेतु न्यूनतम् दर का निर्धारण एवं राज्य में इस हेतु फर्म/फैब्रिकेटर्स/संवेदक सूचीबद्ध किया जाना है । इस हेतु **"इच्छा की अभिव्यक्ति"** आमंत्रित की जाती है। संबंधित फर्म/फेब्रिकेटर/संवेदक **निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, डोरण्डा, राँची– 834002** के कार्यालय से आवेदन दिनांक 01.12.2021 से 07.12.2021 तक कार्यालय अवधि में निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची (Director of Fisheries, Jharkhand) के पदनाम से रॉची में भुगतेय मो0 25000.00 (पच्चीस हजार) रु0 मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। भरे हुए तथा अनुलग्नकों सहित आवेदन दिनांक 08.12.2021 के 2.00 बजे अपराहन तक मत्स्य निदेशालय में जमा किये जा सकेंगे एवं उसी दिन अपराहन 03.30 बजे क्रय समिति के समक्ष खोले जाएँगे।

आवेदन पत्र के साथ मुहरबंद तकनीकी एवं वित्तीय बिड संलग्न करना होगा । तकनीकी बिड में सफल आवेदक का ही वित्तीय बिड खोला जाएगा । इच्छा की अभिव्यक्ति की शर्तें निदेशालय के सूचना पट्ट एवं मत्स्य निदेशालय के वेवसाईट Jharkhandfisheries.org एवं prdjharkhand.in पर देखा जा सकता है।

यह विज्ञापन न्यूनतम दर निर्धारण एवं योग्य केज फेब्रिकेटर्स के सूचीकरण के लिए है, इसमें कार्य आवंटन की बाध्यता नहीं होगी। इच्छा की अभिव्यक्ति को आंशिक एवं पूर्ण रुप से रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

24/11/21
निदेशक मत्स्य
झारखण्ड, राँची

1652
24/11/21

मत्स्य बीज का उत्पादन, स्वरोजगार का अच्छा साधन

वित्तीय वर्ष 2021–22 में सभी योजनाओं के लिए जी0 आई0 पाईप के केज एवं मोड्यूलर केज के न्यूनतम् दर निर्धारण एवं फर्म/फेब्रिकेटर/संवेदक के सूचीकरण हेतु शर्ते

क).जी0 आई. केज निर्माण एवं मोड्यूलर केज निर्माण हेतु तकनीकी बिड के लिए वांछित प्रमाणपत्र :–

1. आवेदनकर्ता को जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
2. आवेदनकर्ता को वित्तीय वर्ष 2019–20 के आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करनी होगी।
3. आवेदनकर्ता को केज निर्माण का सरकारी कार्यालय द्वारा निर्गत कम से कम 50 केज बनाये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
4. आवेदनकर्ता जो उद्योग/लघु उद्योग विभाग का MSME/NSIC में निबंधित हों का उद्यम रजिस्ट्रेशन का सत्यापन से संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
5. आवेदनकर्ता/फर्म के वर्ष 2019–20 का ऑडिटेड बैलेन्स शीट रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. आवेदनकर्ता को निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची (Director of Fisheries, Jharkhand) के पक्ष में 500000.00 (पॉच लाख) रु0 का रॉची में भुगतेय राष्ट्रीय बैंक का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
7. फर्म/फेब्रिकेटर/संवेदक को काली सूची में न डाले जाने संबंधी "स्वघोषणा पत्र" संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने एवं दो वर्ष की गारन्टी का स्वघोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. तकनीकी बीड हेतु निर्धारित तकनीकी बीड के प्रोफोर्मा में ही तकनीकी बीड जमा करना होगा।
10. तकनीकी बीड के साथ निदेशालय द्वारा निर्गत निविदापत्र के क्रय रसीद की मूल प्रति अथवा स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

ख). जी0 आई0 पाईप के केज निर्माण एवं मोड्यूलर केज हेतु वित्तीय बिड के लिए शर्ते :–

1. आवेदनकर्ता को निदेशालय द्वारा निर्धारित वित्तीय बीड के प्रोफोर्मा में ही वित्तीय बीड अलग सीलबंद लिफाफे में जमा करना होगा।
2. सभी प्रकार के कर, ढुलाई एवं भाड़ा सहित दर अंकित करना होगा। केज की आपूर्ति/अधिष्ठापन निदेशित स्थल पर करना होगा इसके लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
3. जी0आई0 पाईप केज निर्माण के लिए दोनों प्रकार के केज–बैटरी हेतु अधिकतम् 3.60 लाख (तीन लाख साठ हजार) रुपया अनुमानित है।

ग). जी0 आई0 पाईप के केज निर्माण एवं मोड्यूलर केज हेतु अन्य शर्ते :–

1. तकनीकी एवं वित्तीय बीड अलग–अलग लिफाफों में सील बन्द कर, जमा किया जाएगा। उक्त दोनों लिफाफे पुनः एक अलग लिफाफे में होने चाहिए। उसके उपर संबंधित विषय एवं फर्म का नाम, पता एवं मोबाईल नं0 साफ–साफ अंकित होना चाहिए। प्रत्येक सील्ड लिफाफा पर अलग–अलग "वित्तीय बीड"/"तकनीकी बीड" अवश्य अंकित होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर लिफाफे नहीं खोले जाएंगे। तकनीकी बीड में सफल आवेदनकर्ता का ही वित्तीय बीड खोलें जाएंगे।

1652
24/11/21

2. इच्छा की अभिव्यक्ति आवेदनों को खोलने के समय निविदादाता स्वयं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। आवश्यकतानुसार बैठक में भाग लेने समय प्राधिकृत प्रतिनिधि से प्राधिकृत होने का प्रमाण—पत्र मांगा जायेगा।
3. जी0आई0 केज निर्माण हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन के अनुरुप ही केज तैयार कराना होगा जो विक्रय किये जा रहे निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न रहेगा।
4. मोड्यूलर केज निर्माण हेतु स्पेसीफिकेशन के अनुरुप केज तैयार कराना होगा। जो विक्रय किये जा रहे निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न रहेगा।
5. मत्स्य निदेशालय द्वारा संचालित केज अधिष्ठापन योजना अन्तर्गत विभिन्न जलाशयों जैसे कि चाण्डिल जलाशय, पतरातु जलाशय, धुर्वा जलाशय, तिलैया जलाशय आदि स्थानों पर पूर्व से निर्मित केजों का मुआयना किया जा सकता है ताकि आवेदनकर्ताओं को केज संरचना के बारे में प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त हो सके।
6. आपूर्तिकर्ता को स्वयं के खर्च पर परिवहन सहित संबंधित जिले में केज निर्माण एवं अधिष्ठापन करना होगा ।
7. निदेशालय स्तर पर जमा किया गया अग्रधन सभी को इच्छा की अभिव्यक्ति निष्पादन के उपरांत वापस कर दिया जाएगा तथा जिस जिले में इनके द्वारा कार्य प्राप्त किया जाएगा/कार्यादेश प्राप्त होगा वहाॅ एकरारनामा करते हुए Perfomonce Security एक बैटरी हेतु मो0 50000.00 (पचास हजार) रु0 तथा एक से अधिक बैटरी होने पर मो0 100000.00 (एक लाख) रु0 का बैंक ड्राफ्ट संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के पदनाम से उनके कार्यालय में जमा करना होगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी को जमा की गई राशि Perfomonce Security दो वर्ष की गारन्टी पूर्ण होने पर बिना ब्याज के संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा वापस कर दी जाएगी ।
8. निदेशालय स्तरीय समिति को दर अधिक महसूस होने की अवस्था में वार्ता कर (Negotiation) दर निर्धारित करने एवं L1 की दर पर तकनीकी बीड में सफल अन्य आवेदनकर्ता के सहमत होने पर केज निर्माण हेतु सूचिकरण किये जाने का अधिकार होगा।
9. केज की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यादेश रद्द करते हुए Perfomonce Security की राशि जब्त करने का अधिकार संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी को होगा। यदि चयनित आवेदनकर्ता द्वारा केज निर्माण में शिथिलता बरती जाती है तो निर्धारित L1 दर पर अन्य सफल चयनित आवेदनकर्ता से केज निर्माण कराने का अधिकार संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी को होगा।
10. सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुरूप विभिन्न जलाशयों में केज अधिष्ठापित किए जायेंगे तथा फर्म/संवेदक को जलाशयों के समीप ही केज निर्माण करना होगा ताकि लाभुकों की भागीदारी एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित हो सके।
11. आवेदनकर्ता द्वारा निर्मित केज का मेनटेनेंस अगले दो वर्ष तक करना होगा।
12. बिना कारण बताये इच्छा की अभिव्यक्ति को पूर्ण रुप से अथवा आंशिक रुप से रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा ।
13. निदेशालय स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा अगले इच्छा की अभिव्यक्ति/अगले आदेश तक के लिए मान्य होगा ।
14. एन. आई. टी., इच्छा की अभिव्यक्ति का अंग होगा।

1652
24/11/21

15. आवेदन खोलने की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
16. इच्छा की अभिव्यक्ति के नियम एवं शर्तों को शिथिल करने का अधिकार निदेशालय स्तरीय समिति को होगा।
17. यह विज्ञापन दर निर्धारण मात्र के लिए है, इस इच्छा की अभिव्यक्ति के विरुद्ध मत्स्य निदेशालय से कार्य दिये जाने की बाध्यता नहीं होगी ।

24/11/21

निदेशक मत्स्य,
झारखण्ड, राँची

1652
24/11/21